

Starred Assembly Question No.26(14/14/414)

Verification work of Family ID

*26 (14/14/414) SH.SHISHPAL SINGH KEHARWALA(KALANWALI) :

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) The total number of families whose income is less than 1,80,000/- as per the data of family IDs in State together with the total number of people out of the above said persons/families to whom the BPL card have been issued by the Government along with the number of families which have been excluded from the BPL list which were earlier included in the said BPL list; and
- b) Whether the verification work of family IDs have been completed by the Government in State, if not, the time limit framed by the Government for same?

Answer:- Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

- a) As on 20th December, 2022, as per the data in Parivar Pehchan Number database, 30,38,942 families (1,21,57,298 members) have been verified to have income less than 1,80,000/-. All the above mentioned families have been included for issuance of BPL(Priority Household) ration cards. 9,60,235 families have been excluded from the current list of BPL(PH), AAY & Other Priority Household (OPH).

The current and previous data for these is as under :-

	AAY	BPL(PH)	OPH	Total
Status prior to integration with PPN data	2,47,227	8,90,069	15,57,299	26,94,595
Status as on date after integration with PPN data	3,02,000	27,36,942	0*	30,38,942

Note:* OPH category has been abolished and all families having less than total verified annual income of Rs. 1.80 lac have been included in BPL(PH).

- b) The work of verification of data in Parivar Pehchan Number (PPN) database is an ongoing activity. The first round of verification work is likely to be completed by 28th February 2023.

तारांकित विधान सभा प्रश्न नं० 26 (14/14/414)

परिवार पहचान पत्र का सत्यापन कार्य

***26(14/14/414)** श्री शीशपाल सिंह केहरवाला (कांलावाली): क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- क) राज्य में परिवार पहचान पत्र के डाटा अनुसार 1,80,000/- से कम आमदनी वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है तथा उपरोक्त व्यक्तियों/परिवारों में उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा बी०पी०एल० कार्ड जारी किए गए हैं तथा उन परिवारों की संख्या कितनी है जो बी०पी०एल० सूची से बाहर किए गए हैं जो उक्त बी०पी०एल० सूची में पहले शामिल थे; तथा
- ख) क्या राज्य में सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र का सत्यापन कार्य पूरा हो गया है; यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा अवधि क्या है?

उत्तर:- दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

- क) 20 दिसंबर, 2022 तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार 30,38,942 परिवारों (1,21,57,298 सदस्यों) की आय 1,80,000/- से कम होने का सत्यापन किया गया है। उक्त सभी परिवारों को बी.पी.एल.(प्राथमिक परिवारों) की श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9,60,235 परिवारों को बी०पी०एल०, ए०ए०वाई, अन्य प्राथमिक परिवार (ओ०पी०एच०) की वर्तमान सूची से

बाहर कर दिया गया है। इसके लिए वर्तमान व पूर्व का डाटा निम्न प्रकार से है:-

	ए0ए0वाई	प्राथमिक परिवार (बी0पी0एल0)	अन्य प्राथमिक परिवार (ओ0पी0एच0)	कुल
परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण से पहले की स्थिति	2,47,227	8,90,069	15,57,299	26,94,595
परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण के बाद की तारीख के अनुसार स्थिति	3,02,000	27,36,942	*0	30,38,942

नोट- अन्य प्राथमिक परिवार राशन कार्ड श्रेणी को निरस्त करते हुये रुपये 1.80 लाख तक की कुल सत्यापित वार्षिक आय तक के परिवारों को बी.पी.एल.(प्राथमिक परिवारों) में शामिल किया गया है।

ख) परिवार पहचान संख्या (पी0पी0एन0) डेटाबेस में डेटा के सत्यापन का कार्य एक चल रही गतिविधि है। सत्यापन कार्य का पहला दौर 28 फरवरी 2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।